



का कार्या 10 CPC
देशा किया। जो शक्ति का
करी वकील वारी को ही गई।
वाके जावाह अर्चना - पत्र एवं
शेक अर्चना मिलान डाईडा
04/10/24 को पेश हो


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइमेर

04/10/24

पडावली पेश हुई। वारी एवं प्रतिवादी
से. 02 के वकील उप.। पूर्व में प्रतिवादी
से. 02 द्वारा प्रस्तुत अर्चना - पत्र द्वारा
10 CPC पर बहस सुनी गई। वकील
वारी द्वारा अर्चना - पत्र के संदर्भ में
बहस का निवेदन किया गया कि वाणिज्य
द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया
गया है, जिसके वर्तमान वाद में वादग्रस्त
खमरा से. समान नहीं है तथा पूर्व के
वाद के साथ अर्चना - पत्र पेश नहीं किया
गया।


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइमेर

वर्तमान में प्रतिवादी गण द्वारा
गौदे पर निर्माण करने के कारण
गठ तथा वाद विवाद किया गया
है।

वकील प्रतिवादी जे 02 द्वारा
बहस करने हुए निर्दिष्ट किया
गया कि वादी अक्टूबर द्वारा
पूर्व में इस न्यायालय में राजस्व
वाद सं. 47/2020 अनवान अक्टूबर
बनाम हामम धारा 53, 88 राज.
कार्यकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत
किया गया है। जिसमें न्यायालय
द्वारा दिनांक 06.01.2023 को
वादी का वाद प्राथमिक रूप से
स्वीकार कर तहसीलदार से विज्ञापन
प्रस्ताव प्राप्त होने से शेष है अतः
वादी का वाद धारा 10 CPC के
अन्तर्गत पश्चात्कर्षी वाद होने से
खारिज किया जावे।

मैंने पत्रावली का
अवलोकन किया एवं उभयपक्षों
की बहस पर मनन किया। वादी
द्वारा पूर्व में वादशुद्ध
खसरा सं. को लेकर राजस्व वाद

(Signature)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

संख्यांक

20/11/2020 दिनवान काठवर बनाम
 मगम पैडा लिशा हुआ है। निर्दिष्ट
 आगालम हाग तहसीलशर में
 विभाजन प्रभाव तलव लिशा हुआ
 है। वर्तमान में ताकी हाग इगी
 तहसील अगि को लेकर अन्य
 गतरव ताद पैडा किया है जो
 "गिअडिकेला" श्रेणी का है, अतः
 ताकी का ताद गिअडिकेला श्रेणी
 में आने से चौधौथ नहीं होने
 में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार
 होकर तखिल दफ्तर ही व नम्बर
 में कम हो।

(Handwritten signature)

साहायक कलक्टर
 (फारट ड्रेक) बाइपेर।